The Madhya Pradesh Sarvajanik Sthan (Dharmik Bhawan Evam Gatividhiyon Ka Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2013

Act 35 of 2013

Keyword(s):
Sarvajanik Sthan, Dharmik Bhawan, Gatividhiyon ka Viniyaman, Proceedings, Regulation, Public Place, Religious

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2013—भाद्र 25, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8179-258-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३५ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१३.

[दिनांक ७ सितम्बर, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १६ सितम्बर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.].

मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) अधिनियम, २००१ को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) अधिनियम, २००१ (क्रमांक २९ सन् २००१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, उपधारा (१) के स्थान

पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) उन संरचनाओं को छोड़कर, जो कि २९ सितम्बर, २००९ के पूर्व परिनिर्मित की गई हैं और जो कि ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, जहां हैं वहीं नियमितीकरण के योग्य हैं, कोई भी व्यक्ति, ऐसे किसी सार्वजनिक स्थान का—

(क) स्थायी धार्मिक स्थान के रूप में; अथवा

(ख) अस्थायी धार्मिक स्थान के रूप में, विहित रीति में कलक्टर से प्राप्त पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना,

उपयोग नहीं करेगा.".

धारा १३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) वह रीति जिसमें कि धारा ३ के अधीन धार्मिक संरचनाएं जहां हैं वहीं नियमितीकरण के योग्य हैं तथा धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने की रीति;".

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8179-258-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 35 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 35 OF 2013.

THE MADHYA PRADESH SARVAJANIK STHAN (DHARMIK BHAWAN EVAM GATIVIDHIYON KA VINIYAMAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of the Governor on the 7th September, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th September, 2013.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Sarvajanik Sthan (Dharmik Bhawan Evam Gatividhiyon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2001.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Sarvajanik Sthan (Dharmik Bhawan Evam Gatividhiyon Ka Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2013.

Amendment of Section 3. 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Sarvajanik Sthan (Dharmik Bhawan Evam Gatividhiyon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2001 (No. 29 of 2001) (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) Except those structures which have been erected before 29th September, 2009 and which are eligible for in situ regularisation in such manner as may be prescribed by the State Government, no person shall use any public place—

(a) as a permanent religious place; or

(b) save with the previous written permission of the Collector, obtained in the prescribed manner, as a temporary religious place.".

Amendment of Section 13. 3. In section 13 of the principal Act, in sub-section (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) the manner in which religious structures are eligible for in situ regularisation under section 3 and the manner of obtaining permission under clause (b) of sub-section (1) of Section 3;".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.